फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत S.D.O कोटा मुकाम बनेड़ा

सत्यनारायण बनाम दुर्गालाल ब्राह्मण

नम्बर मुकदमा 88, 188 RTA नं. 170/13 सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-4-17	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप०। वादी अधिवक्ता प्रस्तुत करने विपक्षी क्र० 15 का जमा प्रोसेज अवसर चाहते हैं। प्रस्तुत करने पर तामील जारी हो। पत्रावली वास्ते तामील हेतु दि० 20-6-17 को पेश हो। [initials]	
20-6-17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम मेघरास में पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता व प्रतिवादी क्र० 1 मय अधिवक्ता शिविर में उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख व इकरारनामा मय सूची दस्तावेजात प्रस्तुत किया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दि० 30-6-17 को पेश हो। [initials]	दुर्गालाल
30/6/17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम बनेड़ा में पेश हुई। वादी अधिवक्ता व विपक्षीगण। लगायत 3 अधिवक्ता	

वक्त केस आहूत। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा
गत पेशी पर प्रस्तुतशुदा रजिस्टर्ड वसीयत
पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख व इकरार
नामा फर्जी मय दस्तावेज के संदर्भ में निवेदन
किया की वादी द्वारा यह वाद पत्र 21/02/14
को न्यायालय श्रीमान के समक्ष अन्तर्गत धारा
88, 188 RT act प्रस्तुत किया है जिसमें
विपक्षी क्रम सं. 1 लगायत 3 को पक्षकार
के रूप में संयोजित किया है जबकि वादी
सत्यनारायण द्वारा निष्पादित इकरारनामा
दिनांक 31/12/2007 में स्वयं वादी द्वारा यह
उल्लेखित किया है कि कथित तौर पर
अवकाश राशि 6500/- रु. प्राप्त कर विपक्षी
क्रम सं. 1 दुर्गा लाल मेरे पिता के भाई उगम
लाल का पुत्र होकर मेरे काका लगता भाई
है यदि दुर्गा लाल ब्राह्मण आवेदन में अपने
हक हिस्से में आ रही कब्जे काश्त कृषि
कृषि आराजियात का बेचान, रहन, अन्तरण
आदि करता है तो वादी सत्यनारायण ब्राह्मण
को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी
आगे वादी स्वयं द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक
31/12/07 यह स्वीकार किया जा चुका है
कि वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी क्रम
1 लगायत 3 का हक हिस्सा निहित है किन्तु
फिर भी यह वाद पत्र बिना किसी ठोस आधार
के विरुद्ध प्रतिवादीगण क्र. 1 लगायत 3 के
प्रस्तुत किया है जबकि वादी का यह वाद
पत्र प्रस्तुति पूर्व ही विपक्षी क्रम 1 लगायत 3
द्वारा अपने हक हिस्से में निहित $\frac{1}{3}$ सम्पूर्ण
आराजियात का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विलेख
दिनांक 3/3/14 को किसी अन्य व्यक्ति शंकर लाल
पिता [illegible] गुर्जर को निष्पादित किया जा

हुआ है कि वादग्रस्त क्रेता ओंकारलाल गुर्जर है जो कि वादपत्र में आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आता है किन्तु वादी द्वारा अपने प्रस्तुत वाद पत्र में श्री ओंकारलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की कलम सं. 2 में विपक्षी क्रम 1 लगायत 3 के पिता/पति को अपने ननिहाल ग्राम इटवारखा में अपने नाना श्री लड्डु ब्राह्मण के यहाँ गोद जाना वर्णित है जिससे वादग्रस्त आराजियात पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं बनता है किन्तु इसके विपरीत सूची दस्तावेज से सलग्न रजिस्टर्ड बख्शीश नामा दिनांक 17/5/74 से यह प्रमाणित होता है कि विपक्षी क्रम 1 लगायत 3 के पिता/पति श्री लड्डु ब्राह्मण निवासी इटवारिया के यहाँ गोद नहीं गए बल्कि श्री लड्डु ब्राह्मण के द्वारा विपक्षी क्रम 1 लगायत 3 के पिता व पति उमा ब्राह्मण के पक्ष में बक्षीसनामा बकायदा रजिस्टर्ड दिनांक 17/5/74 को निष्पादित किया गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि वादी का यह वादपत्र झूठे एवं गलत तथ्यों पर आधारित होकर काबिले खारीज के है। अतः वादपत्र खारीज किया जाना फरमावें।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के खंडन में वादी की ओर से अपने तर्कों से कोई ठोस कटाक्ष दैराते केम्प प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

हमने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर गौर किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात का अध्ययन व मेरिट पर परीक्षण किया। वादी ने अपने वादपत्र में

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनारायतस्स जज	हुक्म में
	विपक्षी क्रम 1 लगायत 3 के पिता व पति श्री उगमा ब्राह्मण को अपने ननिहाल के नाना श्री लादु ब्राह्मण नि. ईन्टाखेड़ा के यहां गोद जाना बताया गया है किन्तु विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व सबूत से यह प्रमाणित होता है कि उगमा ब्राह्मण अपने ननिहाल गोद नहीं बल्कि श्री लादु ब्राह्मण के द्वारा उगमा ब्राह्मण के पक्ष में एक रजिस्टर्ड विक्रयनामा निष्पादित किया गया था। उपरोक्त तर्कों के खण्डन में वादी की ओर से वाद पत्र में कोई साक्ष्य व सबूत रेकार्ड पर मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त शिविर के दौरान वादी पक्ष अपने अभिवचनों से प्रतिवादी के तर्कों का प्रतिरोध करने में भी असफल रहे है।	
	अत: वादी का वादपत्र विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत रजिस्टर्ड बख्शीसनामा दिनांक 17/04/74 व इकरारनामा दिनांक 3/1/07 को आधार मानते हुए एवं वादी पक्ष की ओर से पर्याप्त साक्ष्य व सबूतों के अभाव में खारीज किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है।	
	पत्रावली नं. के क्रम की पाकर फैसल शुमार हो।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.	